



2026:AHC:32064

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4563 सन् 2026

कृष्णदेव @ गोपाल

बनाम

उप मंडल मजिस्ट्रेट और 17 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

..... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : अरविंद कुमार पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यहां पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस में डालकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने के उसके अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज को केस संख्या T202502030207166 पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका दायर की है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) को नोट करना उचित और उचित होगा, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि इस तरह के आवेदन दायर किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार कड़ाई से समयबद्ध अवधि के भीतर इसका निपटान करना अपेक्षित होगा। उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) इस प्रकार है: -

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"(3). इस धारा के तहत प्रत्येक कार्यवाही, जहां तक संभव हो, आवेदन की तारीख से तीन महीने के भीतर उप-मंडल अधिकारी द्वारा संपन्न की जाएगी।"

5. उक्त प्रावधान के आधार पर और पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 1/उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज को उक्त मामले को उठाने और कानून के अनुसार सख्ती से और अधिमानतः तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर अपने गुण-दोष के आधार पर इसका निपटान करने का निर्देश जारी किया जा रहा है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना, लेकिन अनावश्यक स्थगन दिए बिना जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेय)

फरवरी 12, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"